SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court of :- **JETENDRA MEHAR ,JUDICIAL MAGISTRATE FRIST CLASS, PUNASA DIST. KHANDWA M.P.**

Case No. अपो ....443/22 Complaint or report made on.

Name and address of the complainant .... आरक्षी केन्द्र मूंदी जिला खण्डवा म0प्र0

Name, parentage, caste and address of accused

आरोपी का नाम — ओमप्रकाश जायसवाल
पति का नाम — रामदुलारे
आयु — 57
पेशा — प्राइवेट
निवासी — बीजापुर

The offence complained of, and date of, its alleged commission

आपने दिनांक 13/10/22 को स्थान बीजापुर में आबकारी अधिनियम के प्रावधानों, उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों या जारी की गई अधिसूचना, अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र के उल्लंघन में 5.0 लीटर 18 अवैध रूप से आधिपत्य में रखी या विकयार्थ संग्रह में रखी।
लि.

आपका उक्त कृत्य धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय है। क्या आप दोषी होने का अभिवाक करते हो अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो?

(जितेन्द्र मेहर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पुनासा, जिला खण्डवा

The plea of the accused and his examination (if any)-

अभिवाक —
जुर्म स्वीकार है

(1) ओमप्रकाश

(जितेन्द्र मेहर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पुनासा, जिला खण्डवा

The offence proved, if any, and in case under clause, (d) clause (e) clause (f) or clause (g), of sub-section (i) of Section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

नि र्ण य

(आज दिनांक 2/11/22 को घोषित)

01. स्वेच्छिक अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित किया जाता है।

02. वर्तमान में लोगों में नशा करने की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार उपरांत अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाता है।

03. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचर उपरांत अनियुक्त को धारा 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाकर न्यायालय अवधि अवसान पर्यन्त के कारावास एवं 1800/- (रु. [illegible]) रूपये, अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने की दशा में अभियुक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

04. प्रकरण में जप्तशुदा शराब विधिवत् नष्ट की जावे।

(जितेन्द्र मेहर) 2/11/22
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पुनासा, जिला खण्डवा